

### -PVIK

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

#### FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal** 

No--- 601/XXIV- ALCII

Dated-13.8,2020

# TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar (name of user agency) for Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58 (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Sansman village (s) in Pawakidevi tehsils.

#### It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (IX) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (b) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official scandride District Collector

उप जिलाधिकारी चेन्द्र नगर, टिहरी गण्याल



# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; N.T.T.:....

Dated: 13:8:2020

Deputy Commissioner-Distriction

CABONEL C

AT.P

# <u>Encl.-01</u>

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58, Length 4.750Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	and other traditional Forest
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	there are no habitants belonging to scheduled tribes
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गृढ़वाल

> सुमन पुण्डीर सदस्या-जिला पंचायत 45 बद्दीर बिहरी ताद्वाल

sumab

समाज कल्याण अधिकारी जिलदिहरी गढ्गेलाग अधिकारी ਰਿहरी गढवाल

(Full name and office)



परियोजना का नाम:--

जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक-

दिनांक-

—अध्यक्ष

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु (1.225 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.225 है0 वन भूमि ) का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक <u>30.01.2020</u> को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर श्री डी०पी० बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग 2--सदस्य

श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर -सदस्य / सचिव

श्री तेजपाल सिंह राणाबी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी --सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.225 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापितत जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेत् मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उप-जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील--नरेनद्रनगर,जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- नरेनद्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।



# कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक ......30.: 0.1: 20.20 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225हें0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:—

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	#30/01/2020
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	Do
3	श्री राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	Pahul
4	श्री तेजपाल सिंह राणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगलसी	सताय क्षेत्र पंचायत-बडीर तोगा ह० कि रिकार्य ह० कि रिकार्य सेन्स-खण्ड सेन्द्र सम्म (हिंगः)

परियोजना का नाम:--

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौक्कियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०- 58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम **संसमण** तहसील पावकीवेवी, जिला टिहरी गढवाल

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०–58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.225 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00हे० सिविल सोयम भूमि हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात कुल 1.225हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत संसमण द्वारा दिनांक 04,01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत संसमण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रहार क्षेत्र पंचायत-स्वता वीगा १ ह० के साम प्राप्त ने साम (११.१) ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित



# परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

## ग्राम पंचायत संसमण

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	युन्धवार् सिंह	Egalall
2.	अंग्रिक्टिन	Sakun
3.	हिम्मत्रिह	a a
4.	कानसिंह	Kahesinan
<b>S</b> .	स्रतिहें	सरतासह
<b>6</b> .	नो शिल्यादेवी	मिर्यात्या। देवी
7.	व्यकपत्ती देवी	रुगरविती
₽.	प्वकी बेबी	4-11-9
٥.	-स्तांदेव <u>ी</u>	21 (1) 4 = ()
10.	न्मागतत्ती देवी	भागपती हदेवी
11.	ारीमा	गरीमा
12.	बन्न सिंह	वस्तिवह
13.	व्यमेश्वरी वय	हान्ड्वरी
14.	६ भारी भ	GU1717

सत्य क्षेत्र पंचायत- खडीर दोगाः १० किए ०००। १० किए ०००। १० सम् खण्ड गोर नगा (१० गाः)





# परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 0.4.01: 2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

## ग्राम पंचायत संसमण

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	200	OMM
15.	उठरा द्वा	प्रजा
16.	3157 291	3462
17.	का/2121 देवर	वाद्यल
18.	काज्ल देवी	युनाम देली
19.	दान्यान सिंह	Dasnijanjin
20.	यो रिल	Preti
21.	युक्तीर मुक्श हिंह	Mylios L.
22.	युद्धवीर सिष्ट	42
23	1 Day Rie	de la lac
24	पिका दिया सक्स्प्राहम	· wind
34	24/01/	2014
26.	अभूग सिंह	अभम
27.	9/497	्रह्मीपेका
28.	41 1099)	भीतिका







# परियोजना का नाम:--

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 0.4.01.202 ७को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

## ग्राम पंचायत संसमण

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
29.	4)2月)	कर्वाना
30.	अवम रिह	49-1168
31.	रीशन सिंह	द्रीयनास्त्रित्
32.	अजतामास	2-3 7011-114
33,	gud/crier	\$000 C.M.
34	स्तपालिसिंह	4134/20/2
35.	HOGIU	सन्दीप
36.	H 01-406	20 ceolo
37.	14 41M /4E	Selve
38.	EZ-9/218	Mostry
39.	10x \$1218	वीरिवृद्धि
40.	3-47 RTE	श्च-दर रिसट्ट
41.	र्भूमाना सिंड	MARKE
42.	16-121 1218	14-121/218
	The state of the s	

THE BO PRAGE

ग्राम प्रधान



# परियोजना का नाम:--

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 0.4:01:2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

## ग्राम पंचायत संसमण

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
43.	A De	380218
44.	भ्रभाद्। देव।	212/19/ 4/
45.	साविमेड्डि	Wa 1 (4 9)
46.	संद्र रिष्ट्	Mike
47.	अल्लान रिष्ट भाज जिल्ल	Gaylor 145
48.	277 Re	Malsisch
49.	महोत्रेशिद्धी	मदा अशिद्वी
51.	ही का रिष्ट	Deepk
\$1. \$2.	सत्य अवर देवी	41/42 (1) 40
13.	विभ वाद्वी	Parmed !
17.	दलवीर रिष्ट	Balak
1.2.	3012m12 212	उत्तरित्र मिट्ट
130	slead life	अवसर विष
enangen ammunistation in to see A sy		



